दी सिरोही सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सिरोही(राजस्थान)

भारतीय रिजर्व बैक लाईसेंस संख्या ग्रा.आ.ऋ.वि.(जयं).सह. 14 दिनांक 18.01.2012
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, बाईपास रोड, सीसीबी चौराहा, सिरोही, शाखा शिवगंज
प्रबंध निदेशक 02972– 222349 बैंक कार्यालय 02972– 221343 ई–मेल ccb.sirohi@gmail com

कमांकः एससीसीबी/NFS/2023–24/5679–5695 दिनांक– 15.05.2023

शाखा प्रबन्धक,
दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.
शाखा समस्त।

विषयः– " **राजथान सरकार के बजट घोषणा संख्या 171 (2023–24) कि कियान्विति हेतु राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना** " को बैंक में लागु करने बाबत्।

प्रिय महोदय,

दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि.जयपुर के पत्र कमांक आरएससीबी/आ.वि./2023–24/787 दिनांक 26.04.2023 के संलग्न **राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की प्रति भिजवाते हुए निर्देशित किया गया था कि** राज्य सरकार के बजट घोषणा संख्या 171(2023–24) के कियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र''ग्रामीण क्षेत्र में कई कृषक परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ–साथ Non Farm Activities यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई–बुनाई, रंगाई–छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु एक लाख 50 हजार परिवारो को सहकारी बैको के माध्यम से 3 हजार करोड रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड का ब्याज अनुदान(Interest Subsidy) दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शीर्ष बैंक जयपुर के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.04.2023 के सलंग्न कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियो,राजस्थान,जयपुर के पत्र कमांक फा 58(11) सविरा/बैंक–2/बजट घोषणा–171/23–24/1036 दिनांक 17.04.2023 एवं राजस्थान सरकार,सहकारिता विभाग के पत्र कमांक प. 17(11)सह/2023–02881 जयपुर दिनांक 17.04.2023 के अनुसार उक्त ऋण योजना राजस्थान सरकार,वित विभाग से अनुमादित है। ***श्रीमान प्रशासक महोदय बैंक द्वारा प्रारित प्रस्ताव संख्या (01) दिनांक 15.05.2023 के निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार के बजट घोषणा संख्या 171(2023–24) की कियान्विति हेतु राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को बैंक की समस्त शाखाओ में तत्काल प्रभाव से लागु की जाती है–***

1. <u>योजना का नाम–</u>''राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना''
2. <u>योजना का उद्देश्य–</u> राज्य सरकार के वर्ष 2023–24 में बजट भाषण के बिन्दु संख्या 171 पर निम्नानुसार घोषणा की गई है:–

''ग्रामीण क्षेत्र में Non Farminig Sector जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई–बुनाई, रंगाई–छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु एक लाख 50 हजार परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड रूपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जावेगा।

3.<u>पात्रताः–</u>

3.1 योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार (स्वयं, पत्नि/पति, आश्रित माता–पिता, 25 वर्ष से कम अविवाहित पुत्र–पुत्री, तलाकशुदा पुत्र–पुत्री, एवं

परित्यक्ता पुत्री,विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री) पात्र होंगें। आवेदक परिवार को 5 वर्ष से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

योजनान्तर्गत अन्य पात्रता मापदण्डों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक जो कि किरायेदार , मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि रूप में काश्त कर रहे हैं, के परिवार भी पात्र होंगें । इसके अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकार तथा अकृषि कार्यो में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र होंगें।

3.2 परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य योजनान्तर्गत अकृषि गतिविधियों हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगा। परिवार से अभिप्राय जनआधार कार्ड में वर्णित सदस्यों से होगा।

3.3 आवेदक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा जिले के निवासी हो एवं उसके द्वारा योजना के उद्धेश्य में वर्णित व्यवसाय शाखा कार्य क्षेत्र में किया जा रहा हो।

3.4 आवेदक आधार कार्ड धारक या जनआधार कार्डधारक हो।

3.5 आवेदक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज में विपरित स्कोर नहीं हो।

3.6 परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाइसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ क्रेडिट कार्ड होना चाहिये। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो उनके नये सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों हेतु क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जावें।

4. लाभार्थी की पहचान एवं आवेदन प्रकियाः–

प्रबन्ध निदेशक,केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जावेगा। योजना की क्रियान्विति हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जावेगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनो का जिला स्तर पर प्रबन्ध निदेशक,केन्द्रीय सहकारी बैंक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पात्रता मापदण्डो के अधिन परीक्षण किया जावेगा–

1. प्रबन्ध निदेशक,केन्द्रीय सहकारी बैंक –**अध्यक्ष**
2. उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां –सदस्य
3. अधिशाषी अधिकारी,केन्द्रीय सहकारी बैंक –सदस्य
4. राजीविका का जिला स्तरीय प्रतिनिधि –सदस्य
5. नोडल अधिकारी,केन्द्रीय सहकारी बैंक – **सदस्य सचिव**

आवेदक का चयन कर उपरोक्त कमेटी आवेदक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ऋण आवेदन–पत्र सबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित करेगी। बैंक शाखा 10 दिवस में ऋण स्वीकृति पर यथोचित निर्णय लेगी।

5.ऋण राशिः–

5.1 योजनान्तर्गत न्यूनतम राशि रूपये 25 हजार एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख के ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगें। **योजनान्तर्गत ऋण निम्न तीन वर्गों में स्वीकृत किया जा सकेगाः–**

अ) राशि रूपये 50,000 तक

ब) राशि रूपये 50,001 से राशि रूपये 1,00,000 तक

स) राशि रूपये 1,00,001 से राशि रूपये 2,00,000 तक

5.2 **सम्पूर्ण ऋण, साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जावेगा।** साख सीमा राशि का आँकलन व्यवसाय की पूँजीगत आवश्यकताओं, कार्यशील पूँजी तथा रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जावेगा।

5.3 बैंको द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड की Non Farm Sector यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई–बुनाई, रंगाई–छपाई, आदि हेतु प्रचलित ऋण योजनाओं में उक्त योजनाओं की अधिकतम ऋण सीमा तक का ऋण दिया जा सकेगा, किन्तु पात्र चयनित परिवारों के मामले में अनुदान राशि की गणना अधिकतम ऋण राशि रूपये 2.00 लाख तक की राशि पर ही की जावेगी। **इस योजना के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त का लाभ लिया जावें। राज्य सरकार द्वारा इन प्रकरणों में भी अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जावेगा।**

6. **ऋण का चुकाराः–**

योजनान्तर्गत स्वीकृत साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना होगा अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर खाते में बकाया राशि जमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष तक नवीनीकृत करवाना होगा।

7.**ऋण पर ब्याजः–**

7.1 **योजनान्तर्गत वितरित ऋणों पर बैंको द्वारा अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा।** साख सीमा का समय पर नवीनीकरण करवाने वाले सदस्यों /परिवार से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जावेगा। बैंको द्वारा प्रभारित ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगीं। सीजीटीएमएसई को चूककर्ताओं के दावे चूक की दिनांक से 18 माह बाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं अतः राज्य सरकार द्वारा चूककर्ता ऋण खातों का 18 माह की अवधि का ब्याज भुगतान किया जाना होगा।

7.2 राशि रूपये 3000 करोड़ के ऋण वितरण के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 10.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि का प्रावधान किया जायेगा। राज्य **सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी निरन्तर ब्याज अनुदान राशि का प्रावधान किया जायेगा।**

7.3 **साखं सीमा का एक वर्ष पूर्ण होने पर चुकारा कर नवीनीकृत नहीं करवाने वाले ऋणी से चूक की अवधि हेतु साधारण ब्याज के साथ–साथ अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज भी वसूल किया जा सकेगा।**

7.4 **ऋण आवेदक के साथ आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नही की जा सकेगी।**

8.**नोडल एजेन्सीः–**

8.1 योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सहकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग कियान्विति की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

8.2 राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर नोडल एजेन्सी होगा।

9. **लक्ष्यों का आवंटनः–**

राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 2023–24 में डेढ लाख ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाये जावेंगे। लक्ष्यों का आवंटन बैंकों के ऋणी के.सी.सी. धारक सदस्यो के अनुपात में किया जाना प्रस्तावित है।

10. **योजना की अवधिः–**

10.1 योजनान्तर्गत साख सीमा के रूप में स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किया जाना होगा। ऋणी आगामी वर्ष हेतु साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकता है।

10.2 राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षो के बजट में भी निरन्तर ब्याज अनुदान हेतु आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

11. राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रियाः–

11.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले ग्रामीण परिवारों को अधिकतम 10.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अनुदान देय होगा।ब्याज अनुदान राशि की गणना अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख पर की जावेगी।

11.2 योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार/नाबार्ड की योजनाओं में वर्ष 2023–24 में स्वीकृत ऋणों का समय पर चुकारा करने पर पात्र चयनित परिवारों को अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख परं अधिकतम 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा।

1.1.3 योजना के लाभान्तियों एवं देय अनुदान की प्रत्येक तिमाही सूचना /दावे(claim) प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

11.4 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंको द्वारा राशि का समायोजन कर 30 दिवस में बैंको के स्तर पर यदि कोई अनुपयोगी ब्याज अनुदान राशिं रहती है तो राज्य सरकार को लौटा दी जावेगी। इसी प्रकार यदि बैको को अतिरिक्त अनुदान राशि की आवश्यकता है तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के 30 दिवस में राशि बैकों को उपलब्ध करवा दी जावेगी।

12. **ऋण की सुरक्षाः–**

12.1 ऋण से सृजित चल एवं अचल सपंत्तियों पर बैंक का भार दर्ज करवाना होगा।

12.2 इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सभी ऋण Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) के अन्तर्गत शामिल किये जावेंगें। Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) को दी जाने वाली क्रेडिट गारण्टी फीस, जो की 0.85 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत तक होती है, जिस पर. पृथक से जी.एस.टी. भी देय है, का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान को वितरित ऋण के ब्याज अनुदान के साथ किया जायेगा।

12.3 **ऐसे सहकारी बैंक जिन्हें Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise (CGTMSE) से Member Lending Institution मान्यता नही प्राप्त होती है द्वारा वितरित किये गये ऋणों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पूँजी धारक एवं बैंक को स्वीकार्य दो व्यक्तियों की जमानत आवश्यक होगी।**

12.4 शाखा द्वारा ऋण स्वीकृति से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज से आवेदक एवं जमानतदार की रिपोर्ट प्राप्त कर परीक्षण उपरांत साख संतोषप्रद होने की सुनिश्चितता की जावें।

12.5 शाखा द्वारा आवेदक को स्वीकृत ऋण का विवरण क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की वेबसाईड पर अपलोड किया जावेगा।

12.6 व्यवसाय की समस्त चल एवं **अचल सम्पत्तियों** पर बैंक का हाइपोथिकेशन चार्ज/**भार दर्ज** करवाया जावेगा।

12.7 एक परिवार से एक ही सदस्य को योजनान्तर्गत ऋण दिया जा सकेगा।

12.8 क्रेडिट इंफोर्मेशन कम्पनीज की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित ऋण को सम्मिलत करते हुए आवेदक के पक्ष में तीन से अधिक ऋण ना हो।

12.9 ऋणी को बैंक के पोस्ट डेटेड चैक प्रस्तुत करने होगें।

12.10 ऋणी व जमानतदार को बैंक को नोमिनल सदस्य बनाना होगा।

13. आवश्यक दस्तावेजः–

13.1 आवेदक को ऋण आवेदन–पत्र के साथ केवाईसी हेतु वांछित समस्त मूल दस्तावेज मय छायाप्रतियों के प्रस्तुत करने होंगे।

13.2 आवेदक को योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु लागत का ब्यौरा मय कोटेशन आदि के बैंकों की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।

13.3 ऋण स्वीकृति उपरान्त बैंकों द्वारा स्वयं के स्तर से निर्धारित दस्तावेज प्राप्त किये जावेंगे। मुख्य दस्तावेज निम्नानुसार होंगेः–

- ऋण स्वीकारोक्ति पत्र।
- ऋण अनुबन्ध
- मांग वचन पत्र
- समय वचन पत्र
- हाईपोथिकेशन डीड
- जमानत नामा (आवश्यक होने पर)
- उपयोगिता प्रमाण–पत्र
- **अविरल पत्र**
- अन्य दस्तावेज शाखा की आवश्यकतानुसार।
- बैंक पोस्ट डेटेड चैक।

14. राजीविका के स्वयं सहायता समूहों/उत्पादक समूहों/व्यवसायिक समूहों के वित्त पोषण हेतु निम्न विशेष प्रावधान लागू होंगेः–

14.1 राजीविका के स्वयं सहायता समूहों/उत्पादक समूहों/व्यवसायिक समूहों के सदस्यों को सामुहिक गतिविधियों हेतु योजनान्तर्गत व्यक्तिगत रूप से ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

14.2 इन समुहों के प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा एवं ऋण की अधिकतम राशि प्रति समूह रूपये 5.00 लाख होगी।

14.3 योजनान्तर्गत राजीविका के इन समूहों एवं इन समूहों से पात्र लाभार्थियों का चयन राजीविका की स्थानीय इकाई द्वारा किया जाकर प्रबन्ध निदेशक,केन्द्रीय सहकारी बैंक की अध्यक्षता में कमेटी को अनुशंषा प्रेषित की जावेगी।

14.4 राजीविका के इन समूहों को दिये गये ऋणों के उपयोग की सुनिश्चितता, मोनिटरिंग व वसूली में वित्त दाता संस्था का सहयोग करेगा।

15. **अन्य बिन्दुः–**

15.1 शाखा प्रबंधक को बिना कोई कारण बताये ऋण अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15.2 शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण के उपयोग के प्रति संतुष्ट नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि के एक मुश्त चुकारे हेतु ऋणी को मांग का नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।

15.3 जिला स्तर पर मासिक आधार पर प्रबन्ध निदेशक,केन्द्रीय सहकारी बैंक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित कर योजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जावेगी।

15.4 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति(पैक्स/लैम्पस) द्वारा ग्रामीण परिवारों से प्रस्ताव प्राप्त करने में सहयोग करने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक पैक्स/लैम्पस को 0.50 प्रतिशत तथा ऋण की वसूली सुनिश्चित करने पंर 0.50 प्रतिशत इस प्रकार कुल 1.00 प्रतिशत राशि पैक्स/लैम्पस को स्वयं के मार्जिन में से उपलब्ध करवायी जावेगी।

15.5 योजना में परिवर्तन/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार के सहकारिता विभाग/वित्त विभाग में निहित है

उपरोक्तानुसार **राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना** को बैंक की समस्त शाखाओं में तत्काल लागु की जाती हैं ।

(नारायण सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांक–15.05.2023

क्रमांकः एससीसीबी/NFS/2022–23/5679-5695
प्रतिलिपीः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1.श्रीमान प्रशासक महोदय,दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.सिरोही।
2.अधिशाषी अधिकारी,बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही।
3.वरिष्ठ प्रबन्धक कम्प्यूटर अनुभाग बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजनानुसार TCS Software में Loan Product बनावाया जाना सूनिश्चित करे।
4.नोडल अधिकारी(कृषि/अकृषि ऋण) बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही।
5.प्रबन्धक एएण्डएस,बैंक प्रधान कार्यालय सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना में वितरित ऋण में ब्याज आदि दावें शीर्ष बैंक को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6.शाखा प्रबन्धक बैंक शाखा–समस्त को निर्देशित किया जाता है योजनान्तर्गत अधिक–2 ऋण वितरण किया जाना सुनिश्चित करे।
7.कार्यालय आदेश।

प्रबन्ध निदेशक